

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / ५७७

दिनांक : १०.५.२०१८

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-९७५/७९- वि-१-१४-१(क)१९/२०१४ दिनांक १८.०७.२०१४ द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा-३७ विधाया-२ द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिवर्त की स्थीरकृति के आलोचन में कृष्णा कालेज ऑफ एज्यूकेशन, कमालपुर, छुटमलपुर, जिला-सहारनपुर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० पाठ्यक्रम (५० सीट) में स्ववित पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१८ से सम्बद्धता की पूर्वनुमति प्रदान की गयी है।

०१. संख्या द्वारा ०३०४/राज्य विश्वविद्यालय (संस्थापन) अध्यादेश, २००३ द्वारा मूल अधिनियम, १९७३ की धारा-३७(२) में प्राप्ति ग्रान्ति परन्तुकु के अनुसार बी०ए० पाठ्यक्रम में प्रवेश से पूर्व उपरोक्त संदर्भित कमियों का नियाकरण कर लिया जायेगा एवं सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बद्धता आदेश रखत निरस्त माना जायेगा।
०२. संस्थान/महाविद्यालय संस्थान संस्थान सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ध प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूर्ण कर रहा है।
०३. संख्या शासनादेश संख्या-२८५/सतर-२-२००३-१६(९२)/२००२ दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विधय में सम्बन्ध पर निर्धारित शासनादेशों का पालन करेगी। रिट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुग्राहन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित शासनादेश संख्या-५२२/सतर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल, २०१३ का अनुपालन संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।
०४. यदि याचिका द्वारा विश्वविद्यालय की प्रतिविधिमाला/अध्यादेश में वार्तित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्रतिविधियों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः कार्य परिवर्त की स्थीरकृति दिनांक ०९.०५.२०१८ के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार कृष्णा कालेज ऑफ एज्यूकेशन, कमालपुर, छुटमलपुर, जिला-सहारनपुर को शिक्षा संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए० पाठ्यक्रम (५० सीट) में स्ववित पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक ०१.०७.२०१८ से सम्बद्धता की स्थीरकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

प्रतिलिपि :-

१. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
२. सचिव, कृष्णा कालेज ऑफ एज्यूकेशन, कमालपुर, छुटमलपुर, जिला-सहारनपुर।
३. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
४. प्रभारी, कमटी सेल, चौधरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
५. प्रभारी, स्टर, चौधरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
६. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सेल, चौधरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
७. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वैवसाइट पर डालने का कार्य करे।
८. गार्ड फ़ाइल हेतु